

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०) हजा०-04-03/2015 (पार्ट-10)/राँची, दिनांक

आदेश

श्री उज्जवलकांत प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं के पुनर्स्थापन कार्य में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 5977 दिनांक- 25.10.2019 एवं अनुवर्ती संकल्प ज्ञापांक- 247 दिनांक- 08.01.2020 के द्वारा पेंशन नियमावली के नियम- 43बी० के अर्न्तगत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री प्रसाद के विरुद्ध मुख्यतः निम्न आरोप गठित किए गए :-
 - (i) गोलाई वीयर जीर्णोद्धार योजना में कुल 2838581/- रुपये के अनियमित भुगतान में संलिप्तता।
 - (ii) दुलकी जलाशय योजना में 5,08,586/- रुपये के अनियमित भुगतान में संलिप्तता।
 - (iii) जुगरा वीयर योजना में 12,224/- रुपये के अनियमित भुगतान में संलिप्तता।
3. संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि यद्यपि इनके द्वारा प्राक्कलन बनाने संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की गयी परन्तु कार्यपालक अभियंता के नाते इनके द्वारा प्राक्कलन में निर्धारित अधिकाई दर को सुधार करवाकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था, परन्तु इनके द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गयी। गोलाई वीयर जीर्णोद्धार योजना के अर्न्तगत श्री प्रसाद द्वारा 29296 घनमीटर का भुगतान किया गया। जिसके लिए श्री प्रसाद पर रु० 52732.80 का अधिकाई भुगतान का आरोप प्रमाणित होता है।
 - (ii) दुलकी वीयर जीर्णोद्धार योजना के संबंध में भी संचालन पदाधिकारी द्वारा कहा गया है कि श्री प्रसाद प्राक्कलन बनाने में शामिल नहीं थे, परन्तु प्राक्कलन में निर्धारित अधिकाई दर को सुधार कराये बिना इन्होंने Desiltation मद में कुल 4787.00 रु० का भुगतान किया है, फलतः इनके विरुद्ध 4787.00 रुपये के अधिकाई भुगतान का आरोप प्रमाणित होता है।

दुलकी जलाशय योजना के अर्न्तगत ही Rip-Rap में संचालन पदाधिकारी ने कहा है कि प्राक्कलन में सुधार न कराकर इनके द्वारा 4,29,480.00 रुपये का अनियमित एवं अधिकाई भुगतान किया गया है। फलस्वरूप वे इस अधिकाई भुगतान में संलिप्त हैं एवं आरोप प्रमाणित होता है।
 - (iii) जुगरा वीयर योजना के अर्न्तगत संचालन पदाधिकारी ने कहा है कि इनके द्वारा 7575.00 रु० का भुगतान किया गया है। चूँकि अब संवेदक द्वारा 70.00 रु० प्रतिघनमीटर के दर से किये गये भुगतान के स्थान पर रु० 68/- प्रतिघनमीटर के दर को स्वीकार कर लिया गया है, अतः यह आरोप आंशिक प्रमाणित होता है।
4. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति के साथ श्री प्रसाद से बचाव-बयान माँगा गया, जिसके आलोक में श्री प्रसाद से प्राप्त बचाव-बयान के समीक्षा में मुख्य रूप से पाया गया कि इन्होंने Tacilty यह स्वीकार भी किया कि चालू विपत्र में हुए अधिकाई/अनियमित भुगतान का Recovery किया जा सकता है। समीक्षोपरान्त इनके बचाव-बयान को अस्वीकार करते हुए निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया :-

पेंशन से 5 % की कटौती 2 वर्षों के लिए।

P.T.O

इन्होंने अपने द्वितीय कारण पृच्छा में मुख्य रूप से कहा है कि ढुलकी वीयर जिर्णोद्धार योजना एवं जुगरा वीयर योजना में हुए अधिकारि/अनियमित भुगतान का समांजन कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रमाणित आरोपों के बचाव में कोई नया तथ्य नहीं रखा है। उड़नदस्ता जाँच के बाद मामले में कार्रवाई करते हुए उपर्युक्त तीन योजनाओं में से मात्र दो योजनाओं में हुए अधिकारि/अनियमित भुगतान की राशि का समांजन हो जाने के मात्र से इन्हें दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता के नाते इनकी जिम्मेवारी थी कि विपत्रों की जाँच कर भुगतान करते परन्तु इनके द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई फलतः उपर्युक्त वर्णित तीनों योजनाओं में अधिकारि/अनियमित राशि का भुगतान किया गया, जिसमें उपर्युक्त वर्णित राशि के अधिकारि/अनियमित भुगतान का आरोप इनके विरुद्ध प्रमाणित है।

5. अतएव, उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री उज्जवलकांत प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए इनके विरुद्ध प्रस्तावित निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-

पेंशन से 5 % की कटौती 2 वर्षों के लिए।

7. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद द्वारा सरकार के इस निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/-

(अशोक कुमार साह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : राँची/दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, (ले० एवं हक०) झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची /श्री उज्जवलकांत प्रसाद, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, पता- साई आश्रम अपार्टमेंट, फ्लैट नं०-403/बी०, अरगोड़ा कटहलमोड़ रोड, पुनदाग, राँची-834004 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(अशोक कुमार साह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3383.....राँची/दिनांक 23/06/22.....

प्रतिलिपि :- उप सचिव, (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार साह)

सरकार के संयुक्त सचिव